न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 48 / 2021

1 झाबरमल पुत्र हनुमानाराम जाति माली निवासी ग्राम बागोरियों की ढाणी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।

अपीलांट

बनाम

1 प्रभाताराम पुत्र हनुमानाराम

2 रामचन्द्र पुत्र हनुमानाराम

3 रिछपाल पुत्र हनुमानाराम

4 सांवरमल पुत्र हनुमानाराम

5 मेवादेवी पुत्री हनुमानाराम

6 श्रीमती बिदामी देवी पत्नी हणमानाराम समस्त जाति माली निवासी ग्राम बागोरियों की ढाणी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राज.। नाम हजफ दिनांक 07.03.2022

7 भूमि धारक राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनू)

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 06.04.2021
न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
मु.नं. 119/2011 उनवानी प्रभात राम बनाम झाबर
आदि

उपस्थिति :

1. श्री किशोर कुमार, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री उम्मेदराज सैनी, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

–निर्णय–

दिनांकः– 26.7.24

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर नवलगढ़ द्वारा मुकदमा 119/2011 में पारित निर्णय दिनांक 06.04.2021 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण/रेस्पोडेन्टस के द्वारा एक वाद बाबत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा अपीलान्ट/प्रतिवादी के विरूद्ध पेश किया गया। जिसमें भूमि खसरा नम्बर 1214, 1216, 1218, 1220, 1221, 1222, 1223 व 1228 रकबा कमशः 0.35 हैक्टेयर, 0.69 हैक्टेयर, 0.05

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झनूं)

अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील ... सीकर

हैक्टेयर, 0.41 हैक्टेयर, 0.18 हैक्टेयर, 0.07 हैक्टेयर, 0.04 हैक्टेयर, 0.16 हैक्टेयर, व 1.00 हैक्टेयर कुल किता 9 कुल रकबा 2.95 हैक्टेयर ग्राम बागोरियो की ढाणी तहसील नवलगढ़ की भूमि के विभाजन करवाये जाने व प्रतिवादी/अपीलान्ट को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाए जाने की सिद्धी चाही गई थी। उक्त वाद का जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम प्रतिवादी संख्या 1 अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत किया। अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत काउंटर क्लेम को खारिज किया जाने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 व धारा 151 सीपीसी का वादी/रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत किया गया उपरोक्त प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 व धारा 151 सीपीसी का जवाब विस्तृत रूप से अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1 ने पेश किया था। उपरोक्त प्रार्थना पत्र को विचारण न्यायालय ने स्वीकार करते हुये अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम को खारिज करने का आदेश दिनांक 06.004.2021 पारित किया है। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि वादीगण/रेस्पोडेन्ट ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के जरिये अपीलान्ट/प्रतिवादी नम्बर 1 द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लैम को बार्ड बाई लॉ होने के आधार पर खारिज करने की इस्तदुआ चाही थी उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 07 नियम 11 सीपीसी में ना तो वादीगण द्वारा यह बताया गया कि कौने से कानून में काउन्टर क्लैम बार्ड बाई लॉ है तथा ना ही विचारण न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 06.04.2021 उल्लेखित किया कि किस आधार पर काउन्टर क्लेम बार्ड बाई लॉ है जबकि वाद पत्र में वर्णित आराजी स्व. हनुमानाराम की स्व अर्जित कृषि भूमि थी। जिस बाबत स्व. हनुमानाराम को अपने जीवनकाल में समस्त हक अधिकार प्राप्त थे स्व. हुनमानाराम ने अपनी खातेदारी अधिकारों की भूमि को अपने पुत्रों को अपने जीवनकाल में ही विभाजित करके सौंप दी थी। जिस पर अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 काबिज काश्त है। रेस्पोडेन्ट संख्या 5 व 6 उक्त आराजी में कोई अधिकार नहीं है। अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झनूं)

लगायत 4 अपनी कृषि भूमि पर अलग–अलग काबिज काश्त है परन्तु वादग्रस्त आराजी को राजस्व अभिलेख स्व. हनुमानाराम की मृत्यु के पश्चात गलत दर्ज हो गया गलत राजस्व अभिलेख के आधार पर किसी को कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं होते है। अपीलान्ट ने विचारण न्यायालय से अपनी हिस्से की भूमि की घोषणा हेतु काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया था। वाद पत्र व काउन्टर क्लेम में साक्ष्य लेने के पश्चात ही अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट के हक हिस्सा का निर्धारण हो सकता था परन्तु विचारण न्यायालय में बिना किसी कारण के ही अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत काउंटर क्लेम को बार्ड बाई लॉ मानकर खारिज कर दिया। विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय में एक शब्द भी नहीं लिखा है कि काउन्टर क्लेम किसी प्रकार बार्ड बाई लॉ है वह कौन से विधि है जो अपीलान्ट को काउन्टर क्लेम प्रस्तुत करने से वर्जित करती है। प्रतिवादी संख्या 1/अपीलान्ट द्वारा ग्राम बागारियों की ढाणी में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1214, 1216, 1218, 1220, 1221, 1222, 1223 व 1228 रकबा क्रमशः 0.35 हैक्टेयर, 0.69 हैक्टेयर, 0.05 हैक्टेयर, 0.41 हैक्टेयर, 0.18 हैक्टेयर, 0.07 हैक्टेयर, 0.04 हैक्टेयर, 0.16 हैक्टेयर व 1.00 हैक्टेयर कुल किता 9 कुल रकबा 2.95 हैक्टेयर में अपीलान्ट के कब्जे काश्त व पुराने बंटवारे के आधार पर खातेदारी की घोषणा हेतु काउन्टर क्लेम पेश किया गया था जिसको पक्षकारान को सुनवाई की जाकर मौखिक साक्ष्य व दस्तावेजी साक्ष्य पेश होने पर साक्ष्य सबूत के आधार पर ही निर्णित किया जा सकता था परन्तु विचारण न्यायालय द्वारा बिना साक्ष्य रिकॉर्ड पर लिए ही उपरोक्त आदेश दिनांक 06.04.2021 पारित किया है अन्तर्गत धारा 7 नियम 11 सीपीसी वाद पत्र नामजूर के जो आधार बताये है उनमें 1 जहां वह वाद हेतुक प्रकट नहीं करता है 2 जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन कम किया है और वादी मूल्यांकन को ठीक करने के लिये न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियम किया है ऐसा करने में असफल रहता है 3 जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन ठीक है किन्तु वाद पत्र अपर्याप्त स्टाम्प पत्र पर लिखा गया है और वादी अपेक्षित स्टाम्प – पत्र के देने के

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनू)

अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी * सीकर *

लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर, जो न्यायालय ने नियत किया है, ऐसा करने में असफल रहता है 4 जहां वाद पत्र में के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है। उपरोक्त आधारों के अलावा आदेश 07 नियम 11 सीपीसी में वाद खारिज नहीं किया जा सकता है परन्तु विचारण न्यायालय ने ना तो अपने निर्णय में यह अंकित किया है कि काउन्टर क्लेम किसी आधार पर खारिज किया जाता है कि मात्र अपने निर्णय में यह अंकित किया है कि काउन्टर क्लेम के लिए तनकी कायम कर साक्ष्य अभिलिखित किया जाना न्यायिक रूप से सही नहीं है इसलिए वादीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी व धारा 151 सीपीसी न्यायोचित प्रतीत होता है अतः आवेदक वादीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी व 151 सीपीसी पोषणीय होने से स्वीकार किया जाता है ताकि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम खारिज किया जाता है। विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय में कही पर यह दर्ज नहीं किया है कि काउन्टर क्लेम के लिए तनकी कायम का साक्ष्य अभिलिखित किया जाना किसी प्रकार न्यायिक रूप में सही नहीं है। विचारण न्यायालय ने यह भी गोर नहीं किया कि तनकी कायम होती हो काउन्टर क्लेम में चाहे गये अनुतोष की तनकी भी साथ ही कायम होती है काउन्टर क्लेम की साक्ष्य भी वाद पत्र के साथ ही होती कौने से अलग से साक्ष्य होती यदि साक्ष्य लेने के पश्चात यदि अपीलान्ट के पक्ष में तनकी निर्धारित होती तो काउन्टर क्लेम का निर्णिय अपीलान्ट के पक्ष में हो जाता एवं अपीलान्ट विचारण न्यायालय के समक्ष तनकी साबित नहीं करता तो निर्णय अपीलान्ट के विरूद्ध हो जाता काउन्टर क्लेम के लिए कौनसी अलग से साक्ष्य लेनी थी। इसके बावजूद भी विचारण न्यायालय ने उक्त निर्णय पारित किया है जो निरस्त होने योग्य है। जानकारी से अन्दर मियाद धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। अपील स्वीकार की जावें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनू)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी * सीकर *

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विवादग्रस्त सम्पति वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के पूर्वज हणमाना की खातेदारी की भूमि रही है जो स्वीकृत तथ्य है। हणमाना के फौत होने पर फौतगी का नामान्तकरण वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से स्वीकृत हुआ है जो हणमाना के पुत्रान विधवा व पुत्री है जो हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत प्रथम अनुसूची की वारिस है तथा बतौर उत्तराधिकारी होने के आधार पर इन्तकाल वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम भरकर तस्दीक हुआ तथा खातेदारी रिकार्ड में दर्ज हुई है। उत्तराधिकारी नहीं होने के बाबत प्रतिवादी संख्या 1 ने भी एतराज नहीं किया है अर्थात वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 का हणमाना के उत्तराधिकारी नहीं होने बाबत प्रतिवादी संख्या 1 को कोई एतराज नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा प्रस्तुत काउण्टर क्लेम का अवलोकन किया जावे तो प्रतिवादी नम्बर 1 ने वादी नम्बर 5 व 6 का नाम राजस्व रिकार्ड से हजफ करने व स्वयं को 1/7 की बजाय 1/5 का खातेदार घोषित करवाने की रिलीफ डिमाण्ड की है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत हणमाना की सम्पत्ति में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 बराबर–बराबर 1/7–1/7 हिस्से के कानूनी वारिस है, हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत वादी नम्बर 5 व 6 का नाम वाद पत्र से हजफ किया जाना व वादीगण नम्बर 1 लगायत 4 व प्रतिवादी संख्या 5 को 1/5, 1/5 हिस्से का खातेदार घोषित करना विधि की मंशा के विपरित है। वादी नम्बर 5 व 6 स्वयं वाद–पत्र के माध्यम से अपने हिस्से के लिए विभाजन की मांग की है। इसलिये प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत काउण्टर क्लेम आदेश 07 नियम 11 तहत खारिज करने में विचारण न्यायालय ने कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण/रेस्पोडेन्ट ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनू)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी * सीकर *

सीपीसी के जरिये अपीलान्ट/प्रतिवादी नम्बर 1 द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लैम को बार्ड बाई लॉ होने के आधार पर खारिज करने की इस्तदुआ चाही थी उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 07 नियम 11 सीपीसी में ना तो वादीगण द्वारा यह बताया गया कि कौने से कानून में काउन्टर क्लैम बार्ड बाई लॉ है तथा ना ही विचारण न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 06.04.2021 उल्लेखित किया कि किस आधार पर काउन्टर क्लेम बार्ड बाई लॉ है। अपीलान्ट ने विचारण न्यायालय से अपनी हिस्से की भूमि की घोषणा हेतु काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया था। वाद पत्र व काउन्टर क्लेम में साक्ष्य लेने के पश्चात ही अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट के हक हिस्सा का निर्धारण हो सकता था परन्तु विचारण न्यायालय में बिना किसी कारण के ही अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत काउंटर क्लेम को बार्ड बाई लॉ मानकर खारिज कर दिया। विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय में एक शब्द भी नहीं लिखा है कि काउन्टर क्लेम किसी प्रकार बार्ड बाई लॉ है वह कौन से विधि है जो अपीलान्ट को काउन्टर क्लेम प्रस्तुत करने से वर्जित करती है। प्रतिवादी संख्या 1/अपीलान्ट द्वारा ग्राम बागारियों की ढाणी में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1214, 1216, 1218, 1220, 1221, 1222, 1223 व 1228 रकबा क्रमशः 0.35 हैक्टेयर, 0.69 हैक्टेयर, 0.05 हैक्टेयर, 0.41 हैक्टेयर, 0.18 हैक्टेयर, 0.07 हैक्टेयर, 0.04 हैक्टेयर, 0.16 हैक्टेयर व 1.00 हैक्टेयर कुल किता 9 कुल रकबा 2.95 हैक्टेयर में अपीलान्ट के कब्जे काश्त व पुराने बंटवारे के आधार पर खातेदारी की घोषणा हेतु काउन्टर क्लेम पेश किया गया था जिसको पक्षकारान को सुनवाई की जाकर मौखिक साक्ष्य व दस्तावेजी साक्ष्य पेश होने पर साक्ष्य सबूत के आधार पर ही निर्णित किया जा सकता था परन्तु विचारण न्यायालय द्वारा बिना साक्ष्य रिकॉर्ड पर लिए ही उपरोक्त आदेश दिनांक 06.04.2021 पारित किया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट के कांउटर क्लेम का जवाब प्राप्त कर तनकी कायम कर साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.08.2024 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 26.7.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)